The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) (Adaptation and Modification Order, 2002) Act, 2003

Act 3 of 2003

Keyword(s):
Trade, Tax, Assesment

Amendments appended: 24 of 2003, 25 of 2003, 7 of 2004

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या–085

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०एन०–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 27 मई, 2003 ई०
ज्येष्ठ 06, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 177/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 27 मई, 2003

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) संशोधन विधेयक, 2003 को दिनांक 16 अप्रैल, 2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 03, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अधिनियम, 2003
(उत्तरांचल अधिनियम सं० 03, सन् 2003)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2002 के संशोधन हेतु अध्यादेश का प्रतिस्थानी

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक 15 मार्च, 2003 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4, के परन्तुक में संशोधन

2. अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4 के परन्तुक को निम्नवत् संशोधित समझा जायेगा :–

"प्रतिबन्ध यह भी है कि वर्ष 2000–2001 के कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण 31 मार्च, 2004 तक पारित किये जा सकते हैं।"

निरसन और अपवाद

3. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण, आदेश, 2002) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,

भरोसी लाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) (Adaptation & Modification Order, 2002) Amendment Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 03 of 2003) for general information :

No. 177/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, May 27, 2003

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 16, 2003.

UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH TRADE TAX ACT, 1948) (ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002) ACT, 2003
(UTTARANCHAL ACT NO. 03 OF 2003)

AN
ACT

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows :–

Replacing Bill for Amendment of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) (Adaptation and Modification) Order, 2002.

Short title, Extent and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) (Adaptation and Modification Order, 2002) Amendment Act, 2003.

(2) It extends to whole of Uttaranchal State.

(3) It shall come into force w.e.f. March 15, 2003.

Amendment of new proviso of section 4 of the Adaptation & Modification Order, 2002

2. New proviso of section 4 of the Adaptation & Modification Order, 2002 shall be deemed to be amended as follows :–

"Provided also that the assessment or reassessment for the assessment year 2000-2001 may be made by March 31, 2004."

Repeal and Savings

3. The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) (Adaptation and Modification Order, 2002) Ordinance, 2003 is hereby repealed.

By Order,

BHAROSI LAL,
Sachiv.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 06 विधायी/136–2003–500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–07

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 08 जनवरी, 2004 ई0
पौष 18, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 492/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 08 जनवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को दिनांक 06–01–2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 24, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 24, सन् 2003)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) के संशोधन हेतु

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा 2 का संशोधन

2. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ख) में, शब्द "संयुक्त कमिश्नर या उप–कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "या संयुक्त–कमिश्नर" प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।

धारा 4–ख का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 4–ख की, उपधारा (4) के खण्ड (तीन) में, शब्द "उप–कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "संयुक्त–कमिश्नर" प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।

धारा 10 में संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 10 की, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में, शब्द "उप–कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "संयुक्त–कमिश्नर" प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।

धारा 10–ख में संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 10–ख की, उपधारा (1) में, "उप–कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "संयुक्त–कमिश्नर" प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।

धारा 13–क का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 13–क की, उपधारा (6) में, "सहायक–कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "उप–कमिश्नर" प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद (अध्यादेश संख्या 07, वर्ष 2003)

7. (1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

बी0 लाल,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) (Adaptation and Modification Order, 2002) (Second Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 24 of 2003) for general information :

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 06-01-2004.

No. 492/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, January 08, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH TRADE TAX ACT, 1948)
(ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002)
(SECOND AMENDMENT) ACT, 2003
(UTTARANCHAL ACT NO. 24 OF 2003)

for amendment of The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) (Adaptation and Modification Order, 2002)

AN

ACT

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title, Extent and Commencement

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) (Adaptation and Modification Order, 2002) (Second Amendment) Act, 2003.

(2) It extends to whole of Uttaranchal.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) (Adaptation and Modification Order, 2002). (Hereinafter referred to as the principal Act) in clause (b) for the words "A Joint Commissioner or a Deputy Commissioner" the words "or a Joint Commissioner" shall be substituted. — Amendment of section 2 of The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) (Adaptation and Modification Order, 2002)

3. In section 4-B of the principal Act in sub-section(4), in clause III for the words "Deputy Commissioner" the words "Joint Commissioner" shall be substituted. — Amendment of section 4-B

4. In section 10 of the principal Act in sub-section (1), in clause (b), for the words "Deputy Commissioner" the words "Joint Commissioner" shall be substituted. — Amendment of section 10

5. In section 10-B of the principal Act in sub-section (1), for the words "Deputy Commissioner" the words "Joint Commissioner" shall be substituted. — Amendment of section 10-B

6. In section 13-A of the principal Act in sub-section (6), in for the words "Assistant Commissioner" the words "Deputy Commissioner" shall be substituted. — Amendment of section 13-A

7. (1) The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) (Adaptation and Modification Order, 2002) (Second Amendment) Ordinance, 2003 is hereby repealed. — Repeal and Savings (Ordinance No. 7 of 2003)

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the ordinance referred in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By Order,

BHAROSI LAL,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 विधायी/12—2004—500. (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–08

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 08 जनवरी, 2004 ई0
पौष 18, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 493/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 08 जनवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 को दिनांक 06–01–2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 25, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2003

(उत्तरांचल अधिनियम सं0 25, सन् 2003)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2003) में अग्रेत्तर संशोधन हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित :–

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह तत्काल प्रभावी होगा।

मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) में एक नया परन्तुक जोड़ा जाना

2. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा 21 की उपधारा (2) में, पांचवें परन्तुक के बाद निम्नलिखित एक नया परन्तुक जोड़ दिया जायेगा :–

"प्रतिबन्ध यह भी है कि इस उपधारा में दी गई किसी बात के होते हुये भी, जहां राज्य सरकार की यह राय है कि राज्य या उसके किसी भाग में तत्समय विद्यमान असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी मामले में या मामलों के वर्ग में इस उपधारा के अधीन निर्धारित समय के भीतर कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण पूरा करना कठिन होगा, तो वह राजपत्र में अधिसूचित करके, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग में इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के लिये निर्धारित समय सीमा को बढ़ा सकती है"।

धारा 28–क का संशोधन

3. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में–

(1) धारा 28–क की उपधारा (2) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(क) आयातकर्ता, पारेषक (कन्साइनर) को सम्यक् रूप से भरे गये और अपने द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा–पत्र को निर्धारित प्रपत्र में, दो प्रतियों में देगा और कोई ऐसा माल ले जाने वाला गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति अपने साथ निर्धारित रीति में पारेषक द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित ऐसे घोषणा–पत्र की प्रतियां और ऐसे अन्य लेख–पत्र, जो निर्धारित किये जायं, ले जायेगा और ऐसे घोषणा–पत्र की एक प्रति :–

(एक) जहां ऐसे माल को ऐसी सड़क से लाया जाय, जिस पर धारा 28 के अधीन कोई जांच चौकी या नाका स्थापित हो, तो जांच चौकी या नाके को पार करने से पहले ऐसी जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को, और

(दो) जहां ऐसे माल को ऐसी सड़क से लाया जाय, जिस पर कोई जांच चौकी या नाका स्थापित न हो तो राज्य के भीतर ऐसे माल को आगे ले जाने से पहले उक्त धारा के अधीन स्थापित निकटतम जांच चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को देगा और माल सहित घोषणा–पत्र की दूसरी प्रति और शेष लेख–पत्र आयातकर्ता या उसके अभिकर्ता को देगा।"

(2) उपधारा (2) का खण्ड (ग) विलोपित समझा जायेगा।

आज्ञा से,

बी० लाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) (Adaptation & Modification Order, 2002) (Third Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 25 of 2003) for general information :

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 06-01-2004.

No. 493/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, January 08, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH TRADE TAX ACT, 1948)
(ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002)
(THIRD AMENDMENT) ACT, 2003

(UTTARANCHAL ACT NO. 25 OF 2003)

further to amend The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) (Adaptation and Modification Order, 2002) Act, 2003 (Act no. 03 of 2003)

AN

ACT

IT IS HEREBY enacted by the State Assembly in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows :–

Short title, Extent and Commencement

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) (Adaptation and Modification Order, 2002) (Third Amendment) Act, 2003.

(2) It extends to whole of Uttaranchal.

(3) It shall come into force with immediate effect.

Addition of a new proviso in sub-section (2) of Section 21 of principal Act

2. In The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) (Adaptation and Modification Order, 2002), in sub-section (2) of Section 21 the following proviso shall be added after the fifth proviso :

"Provided also that notwithstanding any thing contained in this sub-section, where the State Govt. is of the opinion that due to any extra-ordinary circumstances prevalent at the time in the State or any part of it, it will be difficult to complete assessment or reassessment in any case or class of cases within the time prescribed under this sub-section, it may, by notification in the Gazette extend the time limit prescribed under this sub-section for making assessment or reassessment in such a case or class of cases".

Amendment of Section 28-A

3. In The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) (Adaptation and Modification Order, 2002)--

(1) In sub-section (2) of Section 28-A for clause (a) the following clause shall be substituted namely:--

"(a) the importer shall furnish to the consignor the declaration in the prescribed form in duplicate duly filled in and signed by him and the driver or any other person-in-charge of any vehicle carrying any such goods shall carry with him the copies of such declaration duly verified by the consignor in the prescribed manner together with such other documents as may be prescribed and shall deliver one copy of such declaration :--

(i) where such goods are brought by a road on which a check-post or barrier is established under Section 28, to the officer-in-charge of such check-post or barrier before crossing the check-post or barrier, and

(ii) where such goods are brought by a road on which no such check-post or barrier is established, to the officer-in-charge of the nearest check-post or barrier established under the said Section before transporting such goods further within the State.

And the other copy of the declaration and the remaining documents along with the goods to the importer or his agent.

(2) In sub-section (2) clause (c) shall be deemed omitted.

By Order,

BHAROSI LAL,
Secretary.

[illegible]

क्रम संख्या—107

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 05 अगस्त, 2004 ई0
श्रावण 14, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 211/विधायी एवं संसदीय कार्य/2004
देहरादून, 05 अगस्त, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2004 पर श्री राज्यपाल ने दिनांक 04–08–2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 07, सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2004

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2004)

अधिनियम

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन हेतु भारतीय गणतंत्र के 55वें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

   (2) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

धारा 3–कक का संशोधन

2. उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3–कक में, शब्द और अंक "धारा 3–क की उपधारा (1) के खण्ड (ड) में यथा विनिर्दिष्ट आठ प्रतिशत की दर पर" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 3–क की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में यथा विनिर्दिष्ट दस प्रतिशत की दर पर" रख दिये जायेंगे।

धारा 7 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1–ख) में शब्द "दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से ब्याज" के स्थान पर शब्द "चौदह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज" रख दिये जायेंगे।

धारा 8 का संशोधन

4. (1) मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में शब्द "प्रतिमास दो प्रतिशत की दर से ब्याज" के स्थान पर शब्द "चौदह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज" रख दिये जायेंगे।

(2) मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1–ख) में शब्द "डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से साधारण ब्याज" के स्थान पर शब्द "एक प्रतिशत प्रतिमास की दर से साधारण ब्याज" रख दिये जायेंगे।

धारा 8–घ का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 8–घ की उपधारा (7) में शब्द "अट्ठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज" के स्थान पर शब्द "बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज" रख दिये जायेंगे।

धारा 10 का संशोधन

6. (1) मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में "ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने योग्य हैं" के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा:—

(क) उत्तरांचल उच्चतर न्यायिक सेवा के ऐसे व्यक्ति जो अपर जिला न्यायाधीश से निम्न पद पर न हों या न रहे हों।

(2) मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड (2) को निकाल दिया जायेगा।

(3) मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (10) के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) एवं उपखण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे:—

(1) दो सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायेगा, यदि ऐसा आदेश अपर कमिश्नर (अपील) द्वारा दिया गया हो या विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थदण्ड की धनराशि दो लाख रुपये से अधिक हो;

(2) किसी अन्य मामले में, या किसी ऐसे मामले में, जहाँ 9 जुलाई, 1997 से पूर्व प्रस्तुत कोई अपील जो अपर कमिश्नर (अपील) के आदेश के विरुद्ध न हो, 31 जुलाई, 2004 को लम्बित रही हो और विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थदण्ड रुपये दो लाख से अधिक न हो, एक सदस्यीय पीठ द्वारा किया जायेगा।

धारा 29 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) में शब्द "ऐसी धनराशि पर अट्ठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज" के स्थान पर शब्द "ऐसी धनराशि पर बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

यू० सी० ध्यानी,
सचिव।

No. 211/Vidhayee and Sansadiya Karya/2004
Dated Dehradun, August 05, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation & Modification Order, 2002 (Amendment) Bill, 2004 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 07 of 2004).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on August 04, 2004.

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH TRADE TAX ACT, 1948) ADAPTATION & MODIFICATION ORDER, 2002 (AMENDMENT) ACT, 2004

(UTTARANCHAL ACT No. 07 OF 2004)

AN
ACT

to further amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation & Modification Order, 2002.

IT IS HEARBY enacted in the Fifty fifth year of the Republic of India, as follows:—

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002 (Amendment) Act, 2004. Short Title and Commencement

(2) It shall come into force at once.

2. In Section 3-AA of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948) Adaptation and Modification Order, 2002, hereinafter referred to as the Principal Act, for the words and figures "eight percent as specified in clause (e) of sub-section (1) of Section 3-A", the words and figures "ten percent as specified in clause (c) of sub-section (1) of Section 3-A" shall be substituted. Amendment of Section 3-AA

3. In sub-section (1-B) of Section 7 of the Principal Act, for the words "interest at the rate of two percent per mensem", the words "interest at the rate of fourteen percent per annum" shall be substituted. Amendment of Section 7

4. (1) In sub-section (1) of Section 8 of the Principal Act, for the words "simple interest at the rate of 2 percent per mensem", the words "simple interest at the rate of fourteen percent per annum" shall be substituted. Amendment of Section 8

(2) In sub-section (1-B) of Section 8 of the Principal Act, for the words "simple interest at the rate of one and half percent per mensem", the words "simple interest at the rate of one percent per mensem" shall be substituted.

5. In sub-section (7) of Section 8-D of the Principal Act, for the words "simple interest at the rate of eighteen percent per annum", the words "simple interest at the rate of twelve percent per annum" shall be substituted. Amendment of Section 8-D

6. (1) In sub-section (1) of Section 10 of the Principal Act for the clause (a) "The persons who are qualified to be the judges of the High Court", following clause shall be substituted:— Amendment of Section 10

(a) the persons belonging to Uttaranchal Higher Judicial Service who hold or have held a post not below the rank of Additional District Judge; and

(2) In sub-section (1) of Section 10 of the Principal Act, clause (ii) of proviso shall be omitted.

(3) In clause (a) of sub-section (10) of Section 10 of the Principal Act, for sub-clause (i) & sub-clause (ii) the following sub-clauses shall be substituted:—

(i) by a bench of two members, where such order is passed by an Additional Commissioner (Appeals), or the amount of tax, fee or penalty in dispute exceeds two lakh rupees;

(ii) by a single member bench, in any other case, or in a case where an appeal, not being an appeal against the order of an Additional Commissioner (Appeals), preferred before July 9, 1997, was pending on July 31, 2004 and the amount of the tax, fee or penalty in dispute does not exceed rupees two lakh.

Amendment of Section 29

7. In sub-section (2) of Section 29 of the Principal Act, for the words "simple interest on such amount at the rate of eighteen percent per annum", the words "simple interest on such amount at the rate of twelve percent per annum" shall be substituted.

By Order,

U. C. DHYANI,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 26 विधायी/328–2004–78+500 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।